



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28112020-223386
CG-DL-W-28112020-223386

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2020 (अग्रहायण 7, 1942)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2020 (AGRAHAYANA 7, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	783	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	821	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1803	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1361
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	313
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1559
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	783	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	821	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1803	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1361
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	313
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1559
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवंबर 2020

सं. 9-3/2018-यू.3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को यूजीसी की सलाह पर एक उच्चतर अधिगम संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर राजस्थान (एनआईए) को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा (डी-नोवो श्रेणी के तहत) प्रदान करने के लिए दिनांक 20.08.2019 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि, यूजीसी (डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2019 के अनुसार जांच और सलाह के लिए आवेदन यूजीसी को अग्रेषित किया गया था।

4. और जबकि, यूजीसी ने यह सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था कि क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान के आवेदन पर डी-नोवो श्रेणी के तहत विचार किया जा सकता है। विशेषज्ञ समिति ने 25 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (राजस्थान) को इस शर्त के साथ, भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है कि संस्थान निम्नलिखित विभागों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा और केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद (सीसीआईएम) के मानकों के अनुसार योग्यता वाले संकायों की भर्ती भी करेगा :

- i. आयुर्वेद हस्तलिपि विज्ञान विभाग
- ii. आयु-योगा प्रीवेंटिव कार्डियोलॉजी विभाग
- iii. मर्म चिकित्सा और खेल औषधि विभाग
- iv. वृक्षायुर्वेद (परिरक्षण, कृषि, विकास) विभाग
- v. आयुर्वेद डाइट और न्यूट्रिशन (पोषणहार) विभाग
- vi. सौंदर्य आयुर्वेद विभाग

5. और जबकि, आयोग द्वारा दिनांक 19.12.2019 को आयोजित अपनी 545वीं बैठक में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया गया और मंजूरी दी गई थी।

6. और जबकि, यूजीसी की सलाह पर ध्यान देते हुए, केंद्र सरकार ने इस शर्त के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (राजस्थान) को तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था कि संस्थान उपर्युक्त छह विभागों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा और सीसीआईएम के मानकों के अनुसार योग्यता वाले संकायों की भर्ती करेगा।

7. और इसके अतिरिक्त जबकि, संस्थान ने आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में अनुपालना प्रस्तुत कर दी है। अनुपालना रिपोर्ट जांच हेतु और इस मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए यूजीसी को अग्रेषित कर दी गई थी। इसके उत्तर में यूजीसी ने अपनी टिप्पणी भेजी है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आशय पत्र में निर्धारित शर्तों को पूरा किया है।

8. अब अतः, यूजीसी की सलाह तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की अनुपालना रिपोर्ट के संबंध में इसके आगे के स्पष्टीकरण पर ध्यान देते हुए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इन शर्तों के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए डी-नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा करती है कि अकादमिक गतिविधियों को शुरू करने से पहले और यूजीसी (डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान) विनियमन, 2019 में शामिल शर्तों का पालन करते हुए यूजीसी और सीसीआईएम के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान संकायों की अपेक्षित संख्या भर्ती करेगा।

9. उपर्युक्त पैरा 8 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है।

कामिनी चौहान रतन
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th November 2020

No.F.9/3/2018-U.3 (A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University.

2. And whereas, an application was received on 20.08.2019 for grant of Deemed to be University status (under De-novo category) to National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan (NIA) under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, the application was forwarded to UGC for examination and advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

4. And whereas, UGC constituted an Expert Committee to recommend whether the application of National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan may be considered under de-novo category. The Expert Committee held in its meeting on 25th November, 2019 recommended that National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rajasthan) may be issued the letter of Intent (LoI) by the Government of India with the condition that the institute shall prepare detailed syllabi for the courses to be offered in the following departments and also recruit faculty with the qualifications as per the norms of Central Council of Indian Medicine (CCIM):

- (i) Department of Ayurveda Manuscriptology
- (ii) Department of Ayur-yoga Preventive Cardiology
- (iii) Department Marma Chikitsa and Sports Medicine
- (iv) Department of Vrikshayurveda (Preservation, Cultivation, Development)
- (v) Department of Ayurveda Diet and Nutrition (Poshanhar)
- (vi) Department of Saundarya Ayurveda

5. And whereas, the above recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 545th Meeting held on 19.12.2019.

6. And whereas, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government issued Letter of Intent (LOI) valid for a period of three years to the National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rajasthan) with the condition that the Institute shall prepare detailed syllabi for the courses to be offered in the above six departments and also recruit faculty with the qualifications as per the norms of CCIM.

7. And further whereas, the institute had submitted the compliance with regard to the conditions mentioned in LoI. The compliance report was forwarded to UGC for examining and sending its comments to this Ministry. In response, UGC sent its comments that the National Institute of Ayurveda has fulfilled the conditions stipulated in the LoI.

8. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC and its further clarification on the compliance report of National Institute of Ayurveda, Jaipur, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declares National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan as an Institution deemed to be University under De-novo category for a provisional period of five years subject to conditions that National Institute of Ayurveda shall recruit the required number of faculty as per the norms of UGC and CCIM before starting academic activities and adhere to the conditions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

9. The declaration as made in Para 8 above is further subject to fulfilment of the conditions mentioned at Sr. No. 3 of the endorsement to this Notification;

KAMINI CHAUHAN RATAN
Joint Secretary